भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 492

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

.....

नदियों में जल स्तर

492. **श्री चन्द्र शेखर साहू:**
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान नदियों में पानी का स्तर नीचे गया है और इसकी गुणवत्ता खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा कोई निदेश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा देश की छोटी और बड़ी नदियों में निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं और इस संबंध में अब तक की प्रगति क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस तरह की नदियों की सफाई के लिए खर्च किए गए धन का नदी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ङ): देश में दो प्रकार की नदियां है (i) सदानीरा नदियां तथा (ii) गैर सदानीरा नदियां। सदा नीरा नदियों में जल पूरे वर्ष के दौरान उपलब्ध रहता है जबकि गैर सदानीरा नदियों में वर्षा जल बहता है जो वर्षा ऋतु के दौरान ही उपलब्ध हो पाता है नदियों में जल प्रवाह परिवर्तनशील रहता है जो अनेक मानदंडों पर निर्भर करता है जैसे होने वाली वर्षा, इसका संवितरण तथा कैचमेंट में इसकी तीव्रता, कैचमेंट विशेषता तथा जल निकासी/जल उपयोग। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश की महत्वपूर्ण/बड़ी नदियों की हाइड्रोलॉजिकल निगरानी करता है। केंद्रीय जल आयोग में उपलब्ध

जानकारी के अनुसार विगत 20 वर्षों में महत्वपूर्ण नदियों की टर्मिनल साइटों के औसत वार्षिक जल प्रवाह पर विचार करते हुए पूर्ण जल उपलब्धता में कोई वृद्धि/कमी दर्ज नहीं की गई है।

भारत सरकार ने 9 अक्टूबर, 2018 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से गंगा नदी में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को अधिसूचित किया है जिसे नदी के विभिन्न स्थानों पर यथावत बनाए रखा जाना अपेक्षित होता है। यह आदेश अपर गंगा नदी बेसिन के उद्गम ग्लेशियर से शुरू होकर और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के संबंधित संगम के माध्यम से हरिद्वार तक, अंतत: देवप्रयाग में मिलने और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले तक गंगा नदी की मुख्य धारा पर लागू होता है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जनवरी, 2019 से ई-फ्लो की निगरानी की जा रही है।

जबकि कुछ नदियों में जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2018 में जल गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर 351 प्रदूषित हिस्सों की पहचान बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के आधार पर की है जो कि प्रदूषण का एक प्रमुख घटक है।

नदियों की सफाई और संरक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रकिया है और केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और नमामि गंगे जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नदियों के संरक्षण की चुनौतियों के समाधान के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दे रही है। एनआरसीपी ने अब तक 5969.90 करोड़ रुपए की संस्वीकृत लागत से देश में 16 राज्यों में फैले 77 कस्बों में 34 नदियों के प्रदूषित खंडों को कवर किया है और 2522.03 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, अब तक 29,571 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुल 333 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, इनमें से 140 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और परिचालन में है। 333 परियोजनाओं में से 154 परियोजनाएं सीवरेज सेक्टर की हैं जिनके तहत 3785 एमएलडी की नई सीवेज शोधन क्षमता के सृजन के साथ 1081 एमएलडी शोधन क्षमता का पुनर्वास और 5066 किमी. का सीवरेज नेटवर्क तैयार किया जाना है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान एनआरसीपी (गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर) और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी नवीकरण और रूपांतरण अटल मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन भी किया जाता है।

सरकार द्वारा नदियों में बहिस्रावों के निस्सरण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट निस्सरण मानकों की अधिसूचना को जारी करना, उद्योगों के वर्गीकरण के लिए मानदंड में संशोधन और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को इसे अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, एसपीसीबीएस/पीसीसीएस द्वारा इसकी स्थापना के लिए सहमति जारी करने/प्रचालन की सहमति, निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों की अनुपालना, सत्यापन के लिए सघन प्रदूषक उद्योगों (जीपीआईएस) का नियमित एवं औचक निरीक्षण, बहिस्राव गुणवत्ता के आकलन के लिए ऑनलाइन सतत बहिस्राव मॉनीटरिंग प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, उद्योगों को प्रौद्योगिकीय प्रगति द्वारा

उनके अपशिष्ट जल सृजन, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग/रिसाईकिल करने और जहां संभव हो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), एसपीसीबी और पीसीसी बहि:स्राव निस्सरण मानकों के संबंध में उद्योगों की निगरानी करते हैं और अनुपालना न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हैं।

माननीय एनजीटी ने ओए सं. 673/2018 में आदेश जारी किया है और कम से कम नहाने के उद्देश्य से योग्य जल हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित सभी प्रदूषित नदी स्ट्रेचेज के परिदान हेतु कार्य योजना तैयार करने और अनुमोदित कार्य योजना को अनुबंधित समय सीमा में कार्यान्वित करने के लिए सभी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्देश दिया है। सभी संबंधित 28 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चिन्हित प्रदूषित नदी क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए अनुमोदित कार्य योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। अन्य बातों के साथ-साथ माननीय एनजीटी ने 2014 के ओए सं. 200 के निर्णय के अधीन जल गुणवत्ता और नदियों के ई-फ्लो के रख रखाव को सुनिश्चित करने हेतु भी दिशा निर्देश जारी किया है।

******

<u>अनुलग्नक</u>

'नदियों में जल स्तर' के संबंध में दिनांक 04.02.2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 492 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनआरसीपी (गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के तहत नदियों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में जारी की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

ब्र .□□	राज्य	नदी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (□□□ □□)
1.	गुजरात	साबरमती, मिंडोला और तापी	62.00	63.00	96.89	27.26
2.	जम्मू और कश्मीर	देविका और तवी	-	30.00	-	20.00
3.	महाराष्ट्र	मूला मुथा	31.75	-	-	-
4.	पंजाब	घग्गर, ब्यास और सतलुज	50.00	-	-	-
5.	मणिपुर	नमबुल	--	3.00	15.00	20.00
6.	सिक्किम	रानी चु	18.01	42.00	10.00	20.00
7.	नागालैंड	दीफू और धनसिरी	5.00	5.00	10.00	5.13
8.	ओडिशा	तटीय क्षेत्र (पुरी)	1.99	-	-	-
□□			168.75	143.00	131.89	92.39

****

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों और म[illegible] वर्ष में राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को जारी निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

क्र. [illegible]	राज्य	राशि			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-2021 (दिसंबर, 2020 [illegible])
01	उत्तराखंड	183.61	308.09	110.28	55.09
02	उत्तर प्रदेश	473.34	619.17	706.85	99.43
03	बिहार	356.27	654.51	1163.10	114.84
04	झारखंड	7.57	67.87	28.22	12.80
05	पश्चिम बंगाल	244.01	222.80	69.45	16.25
06	हरियाणा	6.88	0.00	0.00	0.00
07	दिल्ली	81.57	310.69	214.47	60.00
[illegible]		1353.25	2183.13	2292.37	358.41

*****